

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-390 / 2015

संस्थित दिनांक-25.05.2015

फाई. क.234503004512015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. नैनसिंह पिता गुहदड़सिंह, उम्र 56 साल

2. फगनसिंह पिता नैनसिंह, उम्र 32 साल

दोनों निवासी हीरापुर थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //

(दिनांक 09/02/2018 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324, 506 भाग-दो के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.05.15 को समय करीब छः-सात बजे स्थान ग्राम हीरापुर थाना बैहर के अंतर्गत लोकस्थान में फरियादी जगनसिंह धुर्वे को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर आहत जगलसिंह धुर्वे को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत जगनसिंह धुर्वे के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आरोपी नैनसिंह ने आहत जगनसिंह धुर्वे के साथ लाठी एवं नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आरोपीगण ने फरियादी जगनसिंह धुर्वे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जगनसिंह ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.05.15 के 7-8 बजे शाम की है। पड़ोसी नैनसिंह, राजेन्द्र, फूलसिंह, संजू के साथ एक बांस की लकड़ी लेकर

गये, खंभा के तार में कार्बन आने से उनके घर में बिजली नहीं जल रही तो तार को हिला-डुला रहा था, तभी पड़ोसी नैनसिंह उड़के आकर बोला कि कौन है मादरचोद, बहनचोद बिजली खंभा के तार को हिला-डुला रहा है, जिससे उसके मकान की लाईट आ-जा रही है और माँ-बहन की चोदू की गंदी-गंदी गालियाँ देकर हाथ में रखी लाठी से उसके पीठ, कंधा, हाथ में मारा। उसके बाद नैनसिंह का लड़का फगनसिंह भी दौड़कर आया और हाथ-मुक्कों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चला गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध चालान क्रमांक 48/15 दिनांक 18.05.15 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324, 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी जगनसिंह ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया। आरोपी नैनसिंह के संबंध में धारा-324 भा.द.वि. का विचारण किया जा रहा है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1—क्या आरोपी नैनसिंह ने घटना दिनांक 12.05.15 को समय करीब 6-7 बजे स्थान ग्राम हीरापुर थाना बैहर के अंतर्गत आहत जगनसिंह

धुर्वे के साथ लाठी एवं नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

05— साक्षी जगनसिंह अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी नैनसिंह एवं फग्गनसिंह को जानता है। घटना पिछले साल शाम के समय की है। उनके मोहल्ले में लाईट नहीं थी तो उन लोग, वह, संजू, फूलसिंह, राजू, सुरेश के साथ खंबे पर देखने गया था। उसने सोचा कि तार को कार्बन वगैरह आ जाता है तो देख लेता है। वह बिजली का खंबा पड़ोस के नैनसिंह के घर के किनारे पर था नैनसिंह के घर में बिजली थी, तो उसे नैनसिंह गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा जो उसे सुनने पर बुरी लगी। आरोपी ने उसके साथ बांस की लाठी से मारपीट किया था, जिससे उसे मुँह, हाथ एवं अन्य जगह चोटें आयी थी। फग्गनसिंह ने दौड़कर आकर हाथ-मुक्कों से भी मारपीट किया था। फूलसिंह ने उसका बीच-बचाव किया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर में की थी जो प्रपी-01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आयी और ना ही घटनास्थल का नक्शा बनाया था, किन्तु प्रपी-02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान लिया था। उसकी चोटों का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था।

06— साक्षी जगनसिंह अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना साल 2015 की है, उसे आरोपीगण ने बोला था कि अभी वह बच गया है अगली बार जान से खत्म कर देंगे। उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नैनसिंह उड़के ने निकल बोला कौन है मादरचोद बिजली के तार को हिलाने वाला तू कौन होता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि घटना किस दिन घटी थी। साक्षी ने इन सुझावों

को स्वीकार किया है कि नैनसिंह के घर के पास बिजली का खंभा लगा है, उस खंभे से होकर नैनसिंह, फगनसिंह के घर सर्विस लाईन गयी है, नैनसिंह के घर बिजली जल रही थी, उसके घर में सर्विस कनेक्शन होने के बावजूद बिजली नहीं थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह बिजली सुधारने के लिये खंभे पर चढ़ा था। साक्षी के अनुसार उसने बिजली के तारों को और सर्विस लाईन को बांस से हिलाया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा नैनसिंह के घर के सर्विस लाईन एवं तार को हिलाने से नैनसिंह के घर की बिजली चली गयी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी नैनसिंह ने उससे कहा था कि वह लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए तार को मत हिलाओ। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके हाथ में उस समय बांस था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि नैनसिंह के तार मत हिलाओं कहने पर वह खंभे से नीचे कूदा, जब वह नीचे कूदा तो उस समय उसके हाथ में पिंचिस थी, उसने आरोपीगण नैनसिंह व फगनसिंह को बांस के डंडे से मारा। उसे मालूम नहीं है कि मारने से नैनसिंह का सिर फट गया और खून निकलने लगा था।

07— साक्षी जगनसिंह अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में किया और नैनसिंह ने भी घटना की रिपोर्ट उसके विरुद्ध थाने में किया है, उसके विरुद्ध बैहर न्यायालय में उस रिपोर्ट पर से मारपीट का केस चल रहा है, उक्त घटना के घटित होने के उपरांत उसके साथ आरोपीगण के द्वारा कोई घटना घटित नहीं हुई है, आरोपीगण उनके उपर जादू-टोना करते हैं कहकर उसकी पत्नि और बाद में वह हीरापुर के भोलेधाम में आरोपीगण को ले गये थे एवं स्वयं गये थे, उस समय से उनके बीच दुश्मनी होने से बोल-चाल बंद है, आरोपी नैनसिंह के द्वारा घर के अंदर से उसे गालियां दी गयी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे चोटें बिजली खंभे के उपर से नीचे कूदने से आयी है, आरोपीगण नैनसिंह, फगनसिंह ने ना ही उसे मारा और ना

ही उसे गालियां दी और ना ही जान से मारने की धमकी दी है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्रपी-02 के दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर थाने में किये गये है।

08— साक्षी संजय अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी नैनसिंह एवं फगनसिंह को जानता है। वह प्रार्थी जगनसिंह को भी जानता है। घटना वर्ष 2015-16 के बीच शाम के समय की है। उनके मोहल्ले में लाईट नहीं थी तो नैनसिंह के खंबे के पास वह जगनसिंह, सुरेश, पुसाम, राजू, सूरज गये थे। वह लोग बिजली के तार को हिला रहे थे, तब नैनसिंह ने जगनसिंह को लकड़ी से मारपीट किया और उसे भी मारने लगा तो वह भाग गया था। उससे पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.05.2015 को शाम के समय की है। उसने गाली देते हुए नहीं सुना था और वहाँ से चला गया था। उसके सामने आरोपी ने जगनसिंह को जान से मारने की धमकी नहीं दिया था। उसने बीच-बचाव नहीं किया था, क्योंकि आरोपीगण उसे भी मारने के लिये दौड़े थे तो वह वहाँ से भाग गया था।

09— साक्षी संजय अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा मारते समय वह घटनास्थल पर नहीं था भाग गया था। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि जगनसिंह द्वारा आरोपीगण नैनसिंह एवं फगनसिंह को मारने पर नैनसिंह के सिर से खून निकल रहा था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह पहली बार बयान दे रहा है, उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है।

10— साक्षी सुरेश अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं आहत

जगनसिंह को भी जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.05.15 को शाम के सात बजे की है, जब वह, राजेन्द्र, फूलसिंह, संजू और जगनसिंह के साथ बिजली ठीक करने बिजली पोल के पास गया था, जगनसिंह बांस की लकड़ी से बिजली तार को हिला रहा था, तभी नैनसिंह आया और तार हिलाने की बात पर माँ-बहन की गालियाँ देकर हाथ में रखी लाठी से जगनसिंह की पीठ और कंधे में मारने लगा और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा, तभी फगनसिंह आया और जगनसिंह को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा, उसने राजेन्द्र, संजू और फूलसिंह के साथ घटना में बीच-बचाव किया, आरोपीगण नैनसिंह और फगनसिंह जाते-जाते जगनसिंह को जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से चले गये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से समझौता हो गया है इसलिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

11— साक्षी राजेन्द्र अ.सा.04 का कथन है कि वह आहत एवं आरोपीगण को जानता है। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 12.05.2015 को शाम के 7:00 बजे सुरेश, संजू, फूलसिंह, जगनसिंह के साथ बिजली ठीक करने बिजली खंभे के पास गये थे तो जगनसिंह बांस की लकड़ी से बिजली तार हिला रहा था, तभी नैनसिंह आया और तार हिलाने की बात पर माँ-बहन की गालियाँ देकर हाथ में रखी लाठी से जगन की पीठ और कंधे पर मारने लगा तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगा, तभी फगनसिंह आया और जगनसिंह को हाथ मुक्कों से मारपीट कर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा,

उसने, सुरेश, संजु और फूलसिंह के साथ घटना में बीच-बचाव किया था, आरोपीगण नैनसिंह एवं फगनसिंह जाते-जाते जगनसिंह को जान से मारने की धमकी देते हुये वहाँ से चले गये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

12— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 13.05.2015 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से सैनिक महिपाल क्र.245 द्वारा आहत जगनसिंह को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया, परीक्षण पर आहत के शरीर पर निम्न चोटें पाई गईं। चोट क्रमांक 01—कंट्यूजन डेढ़ गुणा आधा इंच लिये हुये, तिरछापन लिये हुये, अनियमित किनारे, भूरापन लिये, जांच करने पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उक्त चोट बांये हाथ पर बाहर की तरफ होना पाया था। चोट क्रमांक 02—एब्रेजन जो कि डेढ़ गुणा आधा इंच लिये हुये, अनियमित किनारे। उक्त चोट दाहिने पीठ पर होना पाया था। चोट क्रमांक 03—कंट्यूजन जो कि आधा गुणा आधा इंच लिये हुये, अनियमित किनारे। उक्त चोट मुँह पर होना पाया, जिसमें दोनों ओर में चोटें पाया था। चोट क्रमांक 04—एब्रेजन जो कि दो थे, लिनियर एक—दूसरे के सामान्तर कर्व आकार में तीन चौथाई इंच लिये हुये, जो कि बांये गले पर होना पाया था।

13— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 के अनुसार उसके द्वारा चोट क्रमांक 01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 01 से 03 कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है तथा चोट क्रमांक 04 मनुष्य के नाखून से कारित हो सकती है। उसके जांच के 12 से 20 घंटे के मध्य की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.04, जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त आहत के बांये हाथ का एक्स-रे कराया गया था। एक्स-रे फिल्म नंबर 466 है। एक्स-रे में उसके द्वारा कोई अस्थिभंग नहीं होना पाया गया था। एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि चोट क्रमांक एक से तीन बिजली के पोल के ऊपर से यदि कोई व्यक्ति नीचे पथरीली जगह पर गिरे तो ऐसी चोटें आ सकती है, चोट क्रमांक 04 गिरने के बाद घर्षण से आ सकती है तथा चोट क्रमांक 04 कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा नाखून से ऐसी चोट कारित कर सकता है।

14— साक्षी बी.एस. कुंजाम अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 13.05.2015 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 53/15 की केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रार्थी जगनसिंह की निशादेही पर तैयार किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी जगनसिंह एवं गवाह फूलसिंह, संजू, राजेन्द्र तथा सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी नैनसिंह से बांस का डंडा गवाह अजाबसिंह एवं फगनसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा उक्त गवाहों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 तैयार किया गया था, जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

15— साक्षी बी.एस. कुंजाम अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का मौका-नक्शा फरियादी के बताये अनुसार लेख न कर थाना बैहर में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया था, उसके द्वारा फरियादी एवं गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिये गये थे, उसके द्वारा आरोपी नैनसिंह से गवाहों के समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी और जप्ती पत्रक अपने मन से तैयार किया गया था, उसके द्वारा आरोपीगण को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक अपने मन से तैयार कर लिया गया था, उसके द्वारा फरियादी से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध गलत विवेचना कर आरोपीगण को प्रकरण में झूठा फँसाया गया है।

16— प्रकरण में परिवादी जगनसिंह द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिया गया है तथा केवल आरोपी नैनसिंह के विरुद्ध नाखून से मारकर साधारण उपहति कारित करने का आरोप है, जिस संबंध में परिवादी जगनसिंह द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं। घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यद्यपि चिकित्सा साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.05 ने अपने परीक्षण में आहत जगनसिंह को बांधे गले पर नाखून से चोट आने की संभावना व्यक्त की है, तथापि स्वयं परिवादी द्वारा ऐसे कोई कथन नहीं किये गये हैं और ना ही अन्य किसी साक्षी ने उक्त संबंध में किसी प्रकार के कथन किये हैं, जिससे मात्र चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

17— परिणामस्वरूप अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी नैनसिंह ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत जगनसिंह धुर्वे के साथ लाठी एवं नाखून से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त नैनसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के

तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

20— प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही /—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट